सुनिश्चित कराने हेतु केन्द्रीय सरकार क्या कदम उठा रही है?

विद्युत और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश में विद्युत की कमी को पूरा करने हेतु विद्युत की उपलब्धता में सुधार किए जाने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं—नई विद्युत उत्पादन क्षमता शीघ्र चालू करना, लघु निर्माणावधि वाली परियोजनाओं को कार्यान्वित करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना, मांग प्रबन्ध एवं ऊर्जा संरक्षण सम्बन्धी उपायों को कार्यान्वित करना और अधिक ऊर्जा वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को ऊर्जा की सप्लाई करना।

(ग) जी, हां। रिहन्द जल विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में भागीदारी हेतु उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड और मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के बीच एक समझौते में यह व्यवस्था की गई है कि उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा रिहन्द की विद्युत में से मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को इसका देय हिस्सा सप्लाई न किए जाने की अवस्था में उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा इस प्रकार की विद्युत के लिए सम्मत शर्तों पर प्रतिपूर्ति की जायेगी। इस मामले को उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा आपसी विचार-विमर्श के आधार पर हल किया जाना है।

राज्य सरकारों की ओर एन०टी०पी०सी० की बकाया राशि

2786. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल:** क्या **विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि एन०टी०पी०सी० को कई राज्य सरकारों से अपनी बकाया राशि वसूल करनी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि एन०टी०पी०सी० अलग-अलग राज्य सरकारों को अलग-अलग दरों पर बिजली देती है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार इसमें समानता लाने का प्रयास करेगी?

विद्युत और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के विद्युत केन्द्रों से संबंधित टैरिफ का निर्धारण केन्द्रवार किया जाता है। किसी केन्द्र से विद्युत प्राप्त करने वाले सभी राज्यों से प्रभारों की वसूली, संबंधित विद्युत केन्द्र के लिए लागू टैरिफ के अनुसार एक समान दर पर की जाती है। केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों से विद्युत की बिक्री हेतु सिद्धान्तों एवं टैरिफ संबंधी मानदण्डों का निर्धारण करने के लिए गठित के०पी० राव समिति की सिफारिशों (जून, 1990) को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा राज्य बिजली बोर्डों के साथ कई बार परामर्श करने के बाद कुशल प्रचालन एवं सीमान्त लागत संबंधी हित के सन्दर्भ में राज्यों को विद्युत की बिक्री के लिए 1 अप्रैल, 1991 के विद्युत उत्पादन की सीमान्त लागत के आधार पर केन्द्रवार टू-पार्ट टैरिफ लागू किए जाने का निर्णय किया गया था।

विवरण

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की बकाया राशियों का राज्यवार ब्यौरा (31 अक्तूबर, 1991 की स्थिति के अनुसार)

क्र०सं०	राज्य/राज्य बिजली बोर्ड	राशि (करोड़ रुपये में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	26.54
2.	बिहार	192.34
3.	गुजरात	51.18
4.	गोवा	(—)0.51
5.	हरियाणा	77.82
6.	हिमाचल प्रदेश	8.40
7.	जम्मू एवं कश्मीर	48.93
8.	कर्नाटक	0.73
9.	केरल	22.39
10.	मध्य प्रदेश	158.88
11.	महाराष्ट्र	39.69
12.	उड़ीसा	3.99

1	2	3
13.	पंजाब	11.84
14.	राजस्थान	92.21
15.	सिक्किम	0.31
16.	तमिलनाडु	73.22
17.	उत्तर प्रदेश	579.30
18.	प० बंगाल	39.37
	जोड़:	1426.63

PHDCCI Study on Losses Suffered by SEBs

2787. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE:
SHRI BEKAL UTSAHI:

Will the Minister of POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to state:

(a) whether a study conducted by PHDCCI has revealed that the overall percentage of losses suffered by 9 State Electricity Boards had increased by 2871.5 per cent despite frequent hikes in tariffs between 1981 and 1989;

(b) if so, what is the precise nature, details and extent of the study and the remedial steps suggested in this regard; and

(c) what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI KALP NATH RAI): (a) Yes, Sir.

(b) It has been mentioned in the subject report that while the plant load factor has improved continuously during 1981-1988, T&D Loss remained more or less constant during this period, percentage sale of power to agricultural sector remained stationary and even though the percentage revenue realisation from consumers other than agricultural has increased, the State Electricity Boards are sustaining losses from year to year due to haphazard and illogical tariff policies. The need to rationalise tariff structure by a central agency like CEA has been suggested. The study has also pointed out that real causes of the losses of the SEBs relate to management of human resources/accounting/technical spheres (covering generation, transmision and distribution systems).

(c) Tariff metters are entirely within the purview of the State Electricity Boards, who are guided by the directives of the State Governments. However, as per the consensus reached at the Power Ministers' Conference held in September, 1990, it is proposed to set up five Regional Power Tariff Boards, which will make recommendations to the State Governments regarding fixation of rationalised tariffs. The need to improve the operations of the SEBs so as to achieve the statutory surplus of 3% has been stressed to the State Governments from time to time.

Use of Coal for Maximising Power Generation

2788. DR. RATNAKAR PANDEY: Will the Minister of POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the use of coal for maximising power generation has cost the national economy dearly;

(b) if so, the staps taken during Seventh Five Year Plan and there after to diversify the ase of coal to other power generation perpose, indicating the extent of generation capacity contemplated under the Seventh Plan and in the following years from different sources and the actual achievement of the targets in each sector; and

(c) what steps are contemplated to divert to other resources for power